न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 42/2013

GCMS NO. : 2013/00200

–:: प्रार्थीगण ::–

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र बद्रीनारायण
2. हुक्मीचंद पुत्र सुगनचंद
3. ओमप्रकाश पुत्र सुगनचंद
4. दिनेश पुत्र सुगनचंद जाति– ब्राह्मण, निवासी ग्राम निम्बोल, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0 हाल बेगम बाजार मंदरवाड़ी मकान नम्बर 14/5/300 द्वितीय फलोर, हैदराबाद।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. भंवरलाल पुत्र बंशीलाल फौत के का. मु.
   1.1 प्रकाश तिवाड़ी पुत्र भंवरलाल जाति– ब्राह्मण, निवासी ग्राम निम्बोल, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0 हाल बेगम बाजार फिलखाना मनचूरीपाल ट्रांसपोर्ट के पीछे म.नं. 15/8/447, हैदराबाद।
2. जगदीश तिवाड़ी पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी निम्बोल हाल एरिया फिलखाना हैदराबाद म.नं. 15/8/423
3. राजेश तिवाड़ी पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी म.नं. 14/2156/2 चाकनावाड़ी ओपीपी कबीर अंडा डब्बा का कारखाना, हैदराबाद।
4. मैनादेवी बेवा भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी निम्बोल हाल जैतारण।
5. सुरेश तिवाड़ी पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी निम्बोल हाल म.नं. 14/2156/2 घीसा महल चाकनवाड़ी हैदराबाद।
6. रामजीवण तिवाड़ी पुत्र भंवरलाल तिवाड़ी जाति ब्राह्मण हाल म.नं. 14/2/51975
7. मिश्रीलाल पुत्र बंशीलाल तिवाड़ी फौत का.मु.
   [illegible]1 भगवान तिवाड़ी पुत्र मिश्रीलाल [illegible] निवासी निम्बोल हाल [illegible]ोट नं. 303 लक्ष[illegible]र थर्ड फलोर बेगम बाजार [illegible] 14/2/151/4 हैदराबाद।
   7.2 अशोक तिवाड़ी पुत्र मिश्रीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

फौत के का.मु.

7.2.1 मंजु देवी बेवा अशोक तिवाड़ी

7.2.2 रोहित तिवाड़ी पुत्र अशोक जाति ब्राह्मण निवासी निम्बोल हाल जोशीवाड़ा गौसा महल कबीर डेरा डब्बी का कारखाना बाली गल्ली म.नं. 14.2.151/4 हैदराबाद।

7.3 अनिल तिवाड़ी पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी निम्बोल हाल बेगम बाजार फिलखाना मनचरीपाल ट्रांसपोर्ट के पीछे म.नं. 15/8/559 हैदराबाद।

7.4 श्रीनिवास तिवाड़ी पुत्र मिश्रीलाल

7.5 दुगादेवी बेवा मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी निम्बोल हाल जोशीवाड़ा गौसा महल कबीर डेरा डब्बी का कारखाना बाली गल्ली म.नं. 14.2.151/4 हैदराबाद।

8. भागीरथ तिवाड़ी पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी निम्बोल हाल जोशीवाड़ा गौसामहल कबीर का डेरा डब्बो का कारखाना वाली गल्ली म.नं. 14/2/151/4 हैदराबाद।

9. श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब सब रजिस्ट्रार कार्यालय जैतारण।

10. श्रीमान तहसीलदार साहब जैतारण।

11. श्रीमान पटवारी महोदय पटवार मण्डल निम्बोल तहसील जैतारण।

12. मैसर्स ब्रीज एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. कार्यालय 90 बीएस पी मुखर्जी रोड कलकता जरिए लक्ष्मण भाई सोजीतरा हाल निवासी निम्बोल [illegible] जैतारण।

13. [illegible]वाको विस्टास कॉपोरेशन लिमिटैड [illegible] तहसील जैतारण।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू 12/02/2013

उपस्थितः. 1. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, प्रार्थी।

2. श्री जब्बरसिंह राजपुरोहित एवं सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनांकः 23/06/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत इस आशय का पेश किया कि सायलान की पुश्तैनी कब्जा सुदा कृषि भूमि पटवार सर्कल निम्बोल मे खसरा नम्बर 218 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 224 रकबा 13–17 बीघा, खसरा नम्बर 417 रकबा 20 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल भूमि रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भंवरलाल पुत्र परसाराम के नाम की आयी हुई है व खसरा नम्बर 226 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 907 रकबा 07–11 बीघा कुल भूमि 21 बीघा 11 बिस्वा की आयी हुई है। जिसमे सायलान का 1/2 हिस्से के मालिक है। सायलान व गैरसायलान संख्या एक से आठ केसूजी ब्राहमण (तिवाडी) के वंशज है। परसराम उर्फ परबुराम नाऔलाद आज से 35 वर्ष पूर्व फौत हो चुका है। परसराम उर्फ परबुराम ने अपने जीवनकाल मे कभी भंवरलाल पुत्र बंशीलाल को गोद पुत्र नही लिया, न ही भंवरलाल पुत्र बंशीलाल परसुराम उर्फ परबुराम का गोद पुत्र था। परसुराम उर्फ परबुराम ने अपने जीवनकाल में ही कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे हिस्से की अचल सम्पति मे से सभी भाई बराबर बराबर हिस्सा कर लेगें, लेकिन भंवरलाल परिवार के सदस्यों को बिना बताये खसरा नम्बर 218, 224, 417 कुल रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा की काश्त की जमीन अपने नाम जरिये फौतेदगी म्युटेशन के जरिये अपने नाम करवा ली, जिसका परिजनो को कोई पता नहीं लगने दिया। वक्त सैट्लमेन्ट से पूर्व सायलान के दादा खसरा नम्बर 218, 224, 417, 226, 907 की कृषि भूमि पर कब्जा व काश्त करते थे। सायलान के पडदादा केसूजी का देहान्त वक्त सैट्लमेन्ट पूर्व से ही हो गया था। सायलान के बडे दादा परबुराम व बंशीलाल व सायलान के दादा बद्रीनारायण संयुक्त परिवार में शामिल रहते थे। सायलान के बडेदादा परशुराम व बंशीलाल परिवार के मुखिया थे सायलान के दादा व पिता परिवार के सबसे छोटे होने के कारण व उम्र में कम होने के कारण वक्त सैट्लमेन्ट के समय सायलान के बडेदादा परशुराम व बंशीलाल ने प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक मे बतायी गई खसरा नम्बर की कृषि भूमि अपने नाम करवा ली। क्योकि सायल के दादा उस समय नासमझ थे परिवार में आपसी प्रेमभाव विश्वास था। सायलान के [illegible] व सायल संख्या एक कई बार बार पूर्व मे पुश्तैनी कृषि भूमि [illegible] नाम करवाने हेतु भंवरलाल व मिश्रीलाल व भागीरथ [illegible] कहा तब उक्त कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा सायलान के नाम करने को [illegible] रहे थे लेकिन भंवरलाल व मिश्रीलाल का देहान्त हैदराबाद में हो गया, सायलान व गैरसायलान हैदराबाद मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

अपनी समझ समझाईस से कमाते खाते है, हैदराबाद में ही रहते है। उन्होने बाद कभी प्रार्थना पत्र ग्रस्त भूमि पर काश्त नही की, न आज दिन उनका कब्जा काश्त है। भंवरलाल तिवाडी व मिश्रीलाल तिवाडी का देहान्त होने के बाद भंवरलाल मिश्रीलाल के कायम मुकाम से भी सायलान ने उक्त कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा अपने नाम करवाने का कहा तो हां भरते रहे व कहते रहे किअबकि बार अपन सभी एक साथ हैदराबाद से मारवाड चलेगें तब करवा देगें, न कभी गैरसायलान मारवाड आये न उक्त कृषि भूमि सायलान के नाम करवाई व टालमटोल करते रहे, लेकिन सायलान मौके पर 1/2 हिस्से पर सम्पूर्ण कृषि भूमी पर कब्जा व काश्त है। जो लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। भंवरलाल बंशीलाल का पुत्र है। भंवरलाल कभी भी परसराम के गोद पुत्र नही था न ही परसराम पुत्र केसुराम ने अपने जीवनकाल मे भंवरलाल को गोद लिया है, न ही गोद पुत्र की सामाजिक रिति रिवाज अनुसार रस्म हुई, न ही ब्राहमण समाज के राव की बही मे भंवरलाल पुत्र परसुराम का गोद पुत्र होने की एन्ट्री है। अगर परसुराम तिवाडी पुत्र केसुराम जी तिवाडी (ब्राहमण) भंवरलाल पुत्र बंशीलाल को गोद पुत्र लेता तो समाज के लोगो व परिवार के सदस्यों को उक्त ज्ञान होता व सामाजिक रिति रिवाज प्रथा अनुसार अपने राव को बुलाकर राव की बही मे भंवरलाल की गोद पुत्र की एन्ट्री आवश्यक रूप से करवाते, न ही कोई परसुराम ने गोदनामा रजिस्ट्रर्ड करवाया, भंवरलाल फर्जी परशुराम का गोद पुत्र बनकर खसरा नम्बर 218,224, 417 कुल रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा की कृषि भूमि अपने नाम करवा ली व ग्राम निम्बोल मे सिमेन्ट प्लान्ट लगने के कारण भूमि के भावो में अचानक उछाल आने से भंवरलाल पुत्र बंशीलाल ने बाले बाले व चुपके चुपके खसरा नम्बर 417 रकबा 20 बीघा का सम्पूर्ण वैचान मनीषकुमार शर्मा पुत्र सत्यनारायण को दिनांक 23-12-2010 को कर दिया व मनीषकुमार शर्मा ने उक्त कृषि भूमि मैसर्स ब्रीज एण्ड बिल्डिंग कन्सट्रेक्सन प्रा.लि.को कर दिया जिसका ज्ञान सायलान को नही था। परशुराम तिवाडी का देहान्त होने के बाद उक्त खसरा नम्बर 218,224,417 की कुल भूमि 44 बीधा 12 बिस्वा बंशीलाल व बद्रीनारायण के पुत्रो मे 1/2 हिस्से, 1/2 हिस्सा होना था जो न होकर भंवरलाल पुत्र बंशीलाल फर्जी तौर से बाले बाले गोद पुत्र बनकर उक्त कृषि भूमि अपने नाम करवा ली जो की कानूनन नल एण्ड वोइड है तथा सायलान के अधिकारों के प्रति प्रभावशून्य है। सायल संख्या एक के दादा व सायल संख्या दो, तीन, चार के पडदादा वक्त सटलमेन्ट के पूर्व ही देहान्त होने से संयुक्त परिवार था। सायल के दादा व पिता संयुक्त परिवार में सबसे छोटे होने के कारण परिवार के कर्ताधर्ता परशुराम तिवाडी ने अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि अपने व बंशीलाल के नाम करवा ली [illegible] कारण से सायल के पिता ब्रदीनारायण का नाम राजस्व [illegible] दर्ज नही हो सका। लेकिन परशुराम व बंशीलाल व सायल के दादा व पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त दावे के पैरा संख्या एक मे बतायी गई खसरा नम्बर की कृषि भूमि आपसी बंटवाडा कर बंशीलाल व बद्रीनारायण को 1/2, 1/2 हिस्से मौके पर बंटवाडा कर कब्जा सुपूर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

कर दिया था। परशुराम अपने लिए कोई हिस्सा नहीं रखा। क्योकि परशुराम के कोई जायन्दा पुत्र व पुत्री नहीं थी। इस कारण से परशुराम ने उक्त पुश्तैनी कृषि भूमि अपने दोनो छोटे भाईयो को अपना हिस्सा भी दे दिया था। प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक मे बतायी गई खसरा नम्बरान की सायलान की पुश्तैनी कृषि भूमि होने से सायलान को हिन्दू उत्तराधिकारी कानून के तहत यह अधिकार उत्पन्न होते है कि वह अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि अपने नाम करवाने के कानूनी अधिकारी है तथा जन्म से ही उनका हक हिस्सा कृषि भूमि में निहित है। इसलिए सायलान श्रीमान की सेवा में घोषणा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायलान संख्या 2,3, 4 के पिता सुगनचन्द पुत्र बद्रीनारायण का देहान्त होने से व सुगनचन्द के वारिस होने से सायलान बनाया गया है। सरहद मौजा निम्बोल मे खसरा नम्बर 218, 224, 417 कुल रकबा 44 बीघा 12 बिसवा परशुराम पुत्र केसूजी के नाम थी फर्जी गोद पुत्र बनकर भंवरलाल पुत्र बंशीलाल नेअपने नाम करवा ली व खसरा नम्बर 226,907 कुल रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा जमीन बंशीलाल पुत्र केसूजी के नाम थी बंशीलाल फौत होने के बाद मिश्रीलाल भागीरथ ने अपने नाम करवा ली। सायलान व गैरसायलान पूर्व मे संयुक्त परिवार के सदस्य रहे है व मौके पर सायलान व गैरसायलान आपसी बंट्वाडा कर 1/2 हिस्से पर कब्जा व काश्त लगातार चला आ रहा है व मौके पर हिस्सेनुसार काबिज है। गैरसायलान हैदराबाद से ग्राम निम्बोल सायलान के साथ प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक मे बतायी गई कृषि भूमि का आपसी सहमति से सायलान के नाम 1/2 हिस्से की भूमि का नाम करवाने हेतु दिनांक 25-1-2013 को आये तब गैरसायलान को यह मालूम चला कि उक्त कृषि भूमि करोडो रूपये की होगयी है तब दिनांक 28-1-2013 को गैरसायलान सभी सायलान को 1/2 हिस्से की कृषि भूमि में नाम दर्ज करवाने से ग्राम निम्बोल मे इन्कार कर दिया व उक्त कृषि भूमि बैचान करने की धमकी दी। अगर उक्त प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक मे बतायी गयी सायलान की पुश्तैनी भूमि का गैरसायलान रजिस्टर्ड बैचान कर देते है तो सायलान को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं है व खरीददार व सायलान के बीच कब्जे को लेकर टन्टा फसाद होगा, जिससे बचने से एवं सायलान कानून में विश्वास रखते है। गैरसायलान को उक्त विवादित कृषि भूमि का सम्पूर्ण बैचान का कोई कानूनन अधिकारी नही होने व न ही कानूनन उक्त कृषि भूमि का सम्पूर्ण बैचान कर सकते है उक्त विवाद से बचने के लिए सायलान कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। तथ्यो परिस्थितियो व दस्तावेजात से सायलान् के पक्ष में बहुत ही मजबूत प्रथम दृष्टिया मामला है तथा [illegible] कब्जा काश्त से हर दृष्टिकोण से सायलान् के पक्ष में है। [illegible] गैरसायलान् द्वारा जोर जबरदस्ती लाठी लकडी के बल पर उक्त सम्पूर्ण विवादित कृषि भूमि का बैचान हस्तान्तरण आदि कर दिया गया तो सायलान् की अपूर्णिय क्षति होगी , जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी व विविध प्रकार की मल्टीप्लीसिटी ऑफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

प्रोसिडिंग्स् बढेगी। इन सभी से बचने के लिये सायलान् के पक्ष मे व गैरसायलान् के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक मे वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 218 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 417 रकबा 20 बीघा, खसरा नम्बर 226 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 907 रकबा बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 65 बीघा14 बिस्या के किसी भू भाग का बैचान हस्तान्तरण वसीयत रहन इत्यादि नही करे तथा सायलान् अपने हिस्से की कृषि भूमि में काश्त मुतालिक कुल कार्य खडाई बुवाई कुटाई इत्यादि करे या कराये तो उसमे गैरसायलान् उनके हाली एजेन्ट नौकर चाकर आदि किसी प्रकार से दखल व दस्तन्दाजी नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के निर्णय तक रोका जाये व वर्तमान राजस्व रेकर्ड की व मौके की वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का रद्धोबदल कच्चा पक्का निमार्ण इत्यादि न तो गैरसायलान करे न ही अन्य किसी से करावे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल बाद के निर्णय तक रोका जावे। प्रार्थना पत्र की रूह से अन्य कोई सहायता सायलान् प्राप्त करने के अधिकारी हो तो दिलायी जाये।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान् को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल संख्या 9 से 13 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। गैरसायल संख्या 1 से 8 की और से वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायल संख्या 01 से 8 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो सा0मि0 है। गैरसायलान संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है इस पद में वर्णित कृषि भूमि में सायलान व उनके पिता जी बद्रीनारायण जी का कभी भी कोई कब्जा काश्त व हक–अधिकार न तो है न ही कभी रहा है। उक्त सम्पूर्ण भूमि भंवरलाल पुत्र परसराम जी के नाम की है जो सही है, इस भूमि में सायलान को किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित वंशावली असत्य झूठी व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। भंवरलाल परसराम उर्फ प्रभूराम जी के दत्तक पुत्र है तथा उक्त भूमि भंवरलाल पुत्र परसराम जी के नाम राजस्व रेकर्ड में जो सही हुई है। इस पद में वर्णित वंशावली में परसराम उर्फ प्रभूराम दर्ज जी को नाऔलाद फौत होना गलत बताया है। परसराम उर्फ प्रभूराम जी ने अपने जीवन काल में भंवरलाल जी को सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार गोद लिया था तथा उन्ही दिनों गोदनामा का अनुष्ठान किया गया तथा समाज में भंवरलाल जी को परसराम जी के पुत्र के रूप में जाना व पहचाना जा रहा है तथा भंवरलाल जी के नाम व वल्दियत सरकारी दस्तावेजात में व स्वामित्व से सम्बन्धित दस्तावेजात में भंवरलाल पुत्र परसराम के नाम से ही दर्ज है। जो सही हैं उक्त तथ्यों के अलावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। परसराम उर्फ प्रभूराम जी के नाऔलाद फौत होने का इस पद में झूठा कथन किया है भंवरलाल परसराम जी के दत्तक पुत्र है तथा परसराम जी के स्वर्गवास उपरान्त उनका बारवां तथा उनकी अस्थियों का हरीद्वार में विर्सजन व पिण्डदान भी भंवरलाल जी ने ही किया था। जाति समाज में भी भंवरलाल जी को परसराम जी के पुत्र के रूप में जाना व पहचाना जा रहा है। भंवरलाल जी को परसराम जी द्वारा गोद नही लेने का इस पद में झूठा कथन किया है, भंवरलाल जी का स्वर्गवास 77 वर्ष की आयु में हुआ है। तब तक भंवरलाल जी की फर्म को परसराम भंवरलाल के नाम से ही बाजार में भी जाना जा रहा है तथा इसी नाम से सरकारी दस्तावेजात भी बने हुये है। परसराम जी का स्वर्गवास हुआ उस समय सायलान नाबालिग थे तथा सभी सायलान व उनके पिता जी बद्रीनारायण जी गांव निम्बोल में रहते थे, बद्रीनारायण जी का स्वर्गवास भी लगभग 80 वर्ष की आयु में हुआ है तथा बद्रीनारायण के पुत्र सुगनचंद का स्वर्गवास भी 66 वर्ष क़ी आयु में हुआ है। उन दोनों ही व्यक्तियों ने अपने जीवन काल में इस प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर अपना कोई हक व अधिकार होना नहीं बताया था। खसरा नम्बर 218, 424, 417 की भूमि में सायलान का कभी भी किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त व हक व अधिकार नहीं रहा है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित तमाम कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पर केसू जी का कभी कोई कब्जा व हक व अधिकार नही रहा था। न ही किसी राजस्व रेकर्ड में केसू जी का नाम कहीं पर दर्ज ही था। वक्त सेटलमेंट के समय इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पर परसराम व बंशीलाल जी दोनों ही भाईयों का संयुक्त रूप से कब्जा व हक व अधिकार था। इसी वजह से यह भूमि इन दोनों के नाम दर्ज हुई है। सेटलमेंट के लगभग 20-25 वर्ष पूर्व ही बद्रीनारायण पुत्र केसू जी हैदराबाद चले गये थे एवं वहीं पर अपना व्यापार शुरू कर दिया था एवं हैदराबाद में ही अपनी चल व अचल संपति बनाई थी। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पर बद्रीनारायण वल्द केसू जी का कभी भी कोई कब्जा काश्त व हक व अधिकार नही रहा है। इस पद में सायलान ने बद्रीनारायण जी का संयुक्त ठींदहंजी ज्पंदपरिवार में शामिल रहने का झूठा कथन लिखा है तथा भूमि भी अकेले गैरसायलान के पूर्वजों के नाम दर्ज करा देने के झूठे कथन लिखे है बल्कि इस वादग्रस्त भूमि पर बंशीलाल व परसराम जी का ही कब्जा व हक व अधिकार था। इसी वजह से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। तत्पश्चात परसरांम जी ने भंवरलाल जी को सामाजिक रिति रिवाज अनुसार गोद ले लिया था तब परसराम उर्फ प्रभूराम जी के स्वर्गवास उपरान्त उनके हक हिस्से की भूमि पर उनके . वारिसान का ही कब्जा व हक व अधिकार रहा है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वर्णित तमाम कथन पूर्णतया असत्य झूठे व देवूनियाद होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पर सायलान व उनके पूर्वज बद्रीनारायण का कभी भी कोई कब्जा काश्त व हक व अधिकार नहीं रहा है। जैसा कि उन्होंने इस पद में स्वीकार भी किया है कि सायलान ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि अपनी होना झूठा कथन किये है। भंवरलाल जी अपने गांव निम्बोल में ही रहते थे जिनकी सदर बाजार जैतारण में परसराम भंवरलाल किराणा मर्चेन्ट के नाम से दूकान आई हुई है। यहीं पर भंवरलाल जी अपनी दुकान चलाते थे, इसलिये सायलान का यह कहना कि भंवरलाल जी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा हो पूर्णतया असत्य है। बल्कि वादग्रस्त भूमि पर गैरसायलान ही कब्जा काश्त व हक व अधिकार है। सायलान का इस जायदाद में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। इसलिये भूमि सायलान के नाम किये जाने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित तमाम कथन पूर्णतया गलत व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। भंवरलाल बंशीलाल जी का जन्मत पुत्र अवश्य है लेकिन परसराम जी के कोई संतान नही होने की वजह से परसराम जी ने भंवरलाल जी के बाल्यवस्था में ही माफिक हिन्दू रिति रिवाज अनुसार गोद ले लिया था। तब उन दिनों गोदनामा की समस्त रशमों का निर्वहन किया गया था। उसके बाद भंवरलाल जी को परसराम जी के दत्तक पुत्र के रूप में जाना व पहचाना जा रहा है। समस्त सरकारी दस्तावेजात में भी भंवरलाल जी की वल्दियत परसराम ही दर्ज है। केवल गोदनामा रजिस्टर्ड नही होने की वजह से रिति रिवाज अनुसार मंतरलाल जी को जो गोद लिया है भंवरलाल जी परसराम जी के दत्तक पुत्र है उक्त तथा झूठे नहीं हो जाते इस पद में सायलान ने भंवरलाल जी को परसराम जी का फर्जी दत्तक पुत्र बनने का झूठा कथन किया है। भंवरलाल पुत्र परसराम जी ने अपने परिवार की जायज जरूरत हेतु खसरा नम्बर 417 रकबा 20 बीघा की भूमि का बेधान किया है। उक्त भूमि का बेचान गैरसायलान संख्या 12 को मनीष कुमार द्वारा विधिक प्रावधानों अनुसार किया गया है जो सही है भंवरलाल जी स्वयं ने प्रतिफल की राशि लेकर के मनीष कुमार शर्मा को बेचान किया था मनीष कुमार ने उक्त भूमि गैरसायलान संख्या 12 के पक्ष में बेचान की है जो सही है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 218 व 224 व 417 की भूमि में बद्रीनारायण व उनके वारिसान का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त व हक व अधिकार न तो कभी है न ही रहा है बल्कि वक्त सेटलमेंट [illegible] समय से उक्त भूमि गैरसायलान के पूर्वज परसराम व बंशीलाल जी के नाम [illegible] कब्जे काश्त की भूमि होने से दर्ज हुई थी। वक्त सेटलमेंट के पूर्व से ही बद्रीनारायण हैदराबाद चले गये थे एवं वहीं पर व्यापार करने लग गये थे इसलिये बद्रीनारायण व उनके वारिसान का इस वादग्रस्त जायदाद में किसी प्रकार से कोई हक हिस्सा व अधिकार शेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

नहीं रहा है। परसराम जी ने अपना वंश वृक्ष आगे चलाने की नियत से माफिक हिन्दू रिति रिवाज़ अनुसार भंवरलाल जी को गोद लिया था इस प्रकार से भंवरलाल जी परसराम जी के दत्तक पुत्र है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 08 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। चक्क शेटलमेंट के पूर्व से ही यानि सेटलमेंट से लगभग 25-30 वर्ष पूर्व बद्रीनारायण जी हैदराबाद चले गये थे वहां पर रहकर अपना व्यापार करने लग गये एवं अपने भाईयों के साथ नहीं रहे थे इसलिये बद्रीनारायण जी के वारिसान का इस प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर किसी प्रकार से कोई कब्जा व हक व अधिकार न तो कभी रहा है। न ही वर्तमान है। इस पद में बद्रीनारायण जी की वादग्रस्त खसरा नम्बरान की भूमि पर कब्जा व काश्त होने के कथन झूठे है। साथ ही बद्रीनारायण व बंशीलाल है एवं प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि पर भी सायलान का कब्जा व काश्त होने के कथन झूठे लिखाये गये है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रांर्थना पत्र के पद संख्या 11 कानूनी है जो काबिल गौर अदालत हाजा के है। कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 12 पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है जिसे गेरसायलान नामांजूर करते हैं समस्त तथ्यों परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार पर सायलान की बजाय गैरसायलान का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी गैरसायलान के पक्ष में प्रमाणित है एवं सुविधा का संतुलन भी गैरसायलान के पक्ष में साबित है। चूंकि सायलान का कोई हक हिस्सा व अधिकार है ही नही तो सायलान को क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। इसलिये भी सायलान का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से मय खर्चा खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वाद पत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो जैरकार है। प्रार्थीगण के अनुसार वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज केसूजी की पैतृक पुश्तैनी आराजी है, केसूजी के तीन पुत्र क्रमशः परसराम उर्फ परबुराम, अप्रार्थीगण के पूर्वज पिता व दादा बंशीलाल तथा प्रार्थीगण के पिता व दादा बद्रीनारायण है। जिस में से परसराम उर्फ परबुराम लाओलाद फौत हो चुका है। जिसने किसी को भी गोद नहीं लिया है अतः सम्पूर्ण आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का 1/2-1/2 हिस्सा निहित है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र में प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये यह कथन किया है कि अप्रार्थी भंवरलाल, परसराम उर्फ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

परबुराम के दत्तक पुत्र है। जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में भंवरलाल पुत्र परसराम दर्ज हुआ है जो कि सही है।

वादग्रस्त आराजी की खतौनी बन्दोबस्त में परबु वल्द केसू कौम ब्राह्मण बतौर खातेदार दर्ज है। नामान्तरण पंजिका ग्राम निम्बोल के नामान्तरण संख्या 662 के अनुसार खातेदार परसराम पुत्र केसू राम फौत होने पर भंवरलाल पुत्र परसराम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी परसराम उर्फ परबुराम वल्द केसाराम की खातेदारी आराजी थी। नामान्तरण अभिलेख के अनुसार परसराम फौत होने पर अप्रार्थी भंवरलाल का नाम बतौर पुत्र वारिसान के रूप में दर्ज किया गया। जबकि उभयपक्ष का यह कथन है कि खातेदार परसराम उर्फ परबुराम लाऔलाद फौत हुआ था। प्रार्थी के अनुसार उक्त खातेदार न भंवरलाल को गौद नहीं लिया था। जबकि अप्रार्थी के अनुसार भंवरलाल को गोद लिया गया था। इस प्रकार वादपत्र के मुख्य अनुतोष के सम्बन्ध में कोई टिपणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादपत्र के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख को सुरक्षित रखना आवश्यक है। तथा प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित होने से प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति :– चुंकि प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है तथा प्रार्थीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् मुख्य अनुतोष चाहा है। अतः यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो भू अभिलेखीय प्रविष्टि के आधार पर वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तान्तरण हो सकता है तथा ऐसी दशा में यदि वादपत्र डिक्री भी हो जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा यदि वादपत्र खारिज होता है तो अप्रार्थीगण को कोई क्षति होना संभव नहीं है। अतः उपर्युक्त तीनों बिन्दु भली भांति साबित होने से प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र को साबित करनें में पूर्णतया सफल रहे हैं, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जा कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी का रहन बैचान एवं हस्तान्तरण नहीं करने तथा भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्ततन नहीं करनें बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–: आदेश :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित होने एवं सारवान रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी पटवार सर्कल निम्बोल मे खसरा नम्बर 218 रकबा 10–15 बीघा, खसरा नम्बर 224 रकबा 13–17 बीघा, खसरा नम्बर 417 रकबा 20

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 226 रकबा 13-11 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 907 रकबा 07-11 बीघा का रहन, बैचान, हस्तान्तरण आदि नहीं करें तथा वर्तमान भू अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी निंमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

निर्णय आज दिनॉक 23/06/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:36 IST
Reason: SelfAttested